AADHAAR

DAINIK JAGRAN, Delhi, 17.5.2018

Page No. 12, Size:(5.77)cms X (20.35)cms.

बुजुर्ग, बीमार और घायलों को बैंक में आधार से छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र: बैंक खातों के इस्तेमाल के लिए अब बुजुर्ग, बीमार और घायल लोग आधार के अलावा अन्य पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने बुधवार को इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है।

गजट अधिसूचना में सरकार ने बताया कि मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब कुछ निश्चित श्रेणी के लोगों की पहचान के लिए वैकल्पिक तरीकों को मंजूरी दी गई है। यह सुविधा उन व्यक्तियों को मिलेगी, जिनके लिए बायोमेट्रिक पहचान करा पाना मुश्किल होता है। यह संशोधन घायलों, बीमारों या उम्र की वजह से बायोमेट्रिक पहचान स्थापित करने में असमर्थ लोगों को अन्य तरीकों से पहचान की अनुमति देता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि इस संशोधन से अक्षम लोगों को बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं लेने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई भी वास्तविक खाताधारक बायोमेट्रिक पहचान के अभाव में बैंकिंग सेवाओं से वंचित नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है।